न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 259/23 (धारा 76 भू राज0 अधि0 1956) (RCMS No.2023/279)

मथुरा पुत्र धूल्या जाति मीना निवासी रामड़ी (मृतक)

1/1 प्रहलादी पत्नी स्व0 मथुरा
1/2 भरतलाल
1/3 मीठालाल
1/4 मुरलीधर
1/5 पुखराज
1/6 कैली पत्नी चतरू
1/7 राकेश पुत्र चतरू

पुत्रगण स्व0 मथुरा जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

1/8 विकम उम्र 17 वर्ष नावालिग जरिये कैली पत्नी चतरू जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. रामसहाय
2. बद्रीलाल
3. सीताराम

पुत्रान सूवा जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

4. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया सवाईमाधोपुर द्वारा शाखा प्रबन्धक
5. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 18.4.2016 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 11 ग्राम तीन्दू तहसील सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराजसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री राजेश सोगरवाल वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि खातेदार मथुरा पुत्र धूल्या मीना साकिन रामडी तहसील व जिला स0मा0 द्वारा अपने पिताजी के सगे भाई सुवा पुत्र रामचन्द्रा का नाम ग्राम तीन्दू की जमीन में दर्ज करने का आवेदन सहायक भूप्रबन्ध एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश किया गया। सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा भूमापक निरीक्षक से रिपोर्ट ली गई। खातेदार मथुरा द्वारा 5 रू0 के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र दिया गया कि सुवा भी उपरोक्त खाते की जमीन में पैतृक हिस्सेदार है। इसलिये उसका नाम भी दर्ज किया जावे। मथुरा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुताबिक कब्जा काश्त अलग अलग खाता कायम करने का भी अनुरोध किया गया। जिस पर हस्व मौका एवं रिकार्ड रिपोर्ट भूमापक निरीक्षक के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

ग्राम तीन्दू खाता नम्बर 48 मथुरा के साथ सुवा का नाम दर्ज करने की स्वीकृति आदेश दिनांक 23.06.1993 के द्वारा दी गई तथा मौके एवं कब्जेकाश्त के अनुसार स्टाम्प पेपर पर दिये गये शपथ पत्र के आधार पर कब्जा मुताबिक नाम दर्ज करने की स्वीकृति भी दी गई तथा यह आदेश दिये गये कि भूमापक नामान्तकरण भर कर पेश करें। सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 23.06.1993 की पालना में नामान्तकरण संख्या 10 व 11 दिनांक 23.06.1993 को खोला गया। सहायक भू प्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 10 व 11 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा के आदेश दिनांक 23.06.1993 से व्यथित होकर तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2016 इस आशय का पारित किया गया कि ....'' अपीलान्ट को विवादित नामान्तकरण 10 व 11 दिनांक 23.06.1993 की जानकारी दिनांक 18.11.1996 को ही प्राप्त हो गई थी चूंकि दिनांक 18.11.1996 को अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों नामान्तकरणों की नकल लेने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 10.01.1997 को नकल प्राप्त की जा चुकी थी जिसकी पुष्टि रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नकल प्रार्थना पत्र की प्रति दिनांक 18.11.1996 से हो जाती है अर्थात विवादित नामान्तकरण की जानकारी होने बाबत तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आ जाने के कारण अपील अपीलान्ट मियाद बाहर प्रस्तुत की जाने की पुष्टि भलीभांति हो जाती है। इस आधार पर अपील अपीलान्द मियाद बाहर प्रस्तुत होने के कारण न्याय के परिपेक्ष्य में खारिज किया जाना न्यायोचित समझती हूं। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जेरे अपील (भूप्रबन्ध अधिकारी का निर्णय दिनांक 23.06.1993 एवं नामान्तकरण संख्या 10 व 11 दिनांक 23.06.1993) को यथावत रखे जाते है। ....'' जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के उपरोक्त आदेश दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध अपीलान्टस की ओर से उपरोक्त द्वितीय अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्टस के अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम तीन्दू में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 42/2/5–0, 177/2/0–14, 2016/2/0–12, 63/1–0 कुल किता–4 रकबा 7 बीघा 6 विस्बा का अपीलान्ट एक मात्र खातेदार काश्तकार काबिज है। रैस्पोडेन्टस व उनके पिता का विवादित आराजी के किसी भी भाग से कभी कोई संबंध नहीं रहा। इसके बाबजूद सहायक भू प्रबंध अधिकारी के न्यायालय में रैस्पोडेन्टस के पिता सुवा द्वारा गलत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि में अपना नाम दर्ज कराने का आदेश करवाया है। अपीलान्टस के द्वारा रैस्पोडेन्टस के पिता

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

के पक्ष में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गई थी। यदि कोई सहमति भी अदालत मातहत में प्रस्तुत हुई है तो वह भी गलत, मिथ्या व कूटरचित है। इसके बाबजूद सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा दिनांक 23.06.1993 को अपीलान्टस की खातेदारी में स्थित भूमि को रैस्पोडेन्टस के पिता की खातेदारी में दर्ज किये जाने का नियम विरूद्ध आदेश दिया है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी के समक्ष मात्र 5 रू0 के स्टाम्प पर फर्जी तैयार किये गये शपथ पत्र के आधार पर रैस्पोडेन्टस के पिता के नाम अपीलान्ट के स्थान पर इन्द्राज खातेदारी बदलने का आदेश पारित किया है, जबकि भूप्रबन्ध विभाग को पंजीकृत विक्रय पत्र, दानपत्र, विरासत या सक्षम न्यायालय की डिक्री के अनुसरण में ही खातेदारी इन्द्राज बदलने का क्षेत्राधिकार था। इस प्रकार प्रथम अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण शून्य प्रभाव लिये होने के कारण निरस्तनीय था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा उपरोक्त निर्णय के गुणावगुण पर विचार नहीं कर मियाद संबंधी बिन्दु पर ही अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 18.04.2016 को पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्टस ने यह भी तर्क दिया कि प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने पहले आदेश दिनांक 23.06.1993 से उत्तरवादी संख्या 1 से 3 के पिता के नाम अनाधिकृत इन्द्राज करने का आदेश दिया व इसके तुरन्त बाद नामान्तकरण संख्या 10 के द्वारा सुवा के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने की प्रविष्टि की गई व नामान्तकरण संख्या 11 के द्वारा विभाजन का नामान्तकरण करते हुये 5 बीघा 14 विस्बा का इन्द्राज सुवा मृतक के नाम व 1 बीघा 12 विस्बा पर अपीलान्टस के पिता के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। उपरोक्त दोनों आदेश भी अवैध व शून्य प्रभाव लिये होने के कारण निरस्तनीय है, परन्तु जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किया है, जो कि गलत है, क्योंकि प्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस पक्षकार नहीं थे। इसलिये दिनांक 23.06.1993 को निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया व अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 30.03.2015 को हुई थी, जब उसके पुत्र मुरलीधर ने पटवारी हल्का से क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज आराजी का विवरण मांगा गया। सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.1993 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही अन्दर मियाद अदालत मातहत में अपीलान्टस की ओर से अपील पेश कर दी गई थी। इसके बाबजूद अदालत मातहत ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज करने में भारी त्रुटि की गई है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर.आर.डी. 1998 पेज 319 पर उद्धरित निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी अपील में मियाद के बिन्दु को तय करने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करना चाहिऐ और यदि प्रकरण में मैरिट योग्य नहीं हो तभी

27.8.2019
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज करना चाहिए। उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 निरस्तनीय है, क्योंकि उपरोक्त निर्णय में अदालत मातहत ने प्रकरण के गुणावगुण की प्रबलता को अनदेखा कर केवल अवधि के बिन्दु पर अपील को खारिज करने का आदेश दिया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 निरस्त किया जावे तथा सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 23.06.1993 व इसकी पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 11 को निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्टस द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुये वकील रैस्पोडेन्टस ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण इसमें कोई अनियमितता नहीं है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने वकील अपीलान्टस की ओर से बहस में दिये गये समस्त तथ्यों का हवाला अपीलाधीन निर्णय में देते हुये यह माना है कि अपीलान्ट को विवादित नामान्तकरण संख्या 10 व 11 दिनांक 23.06.1993 की जानकारी दिनांक 18.11.1996 को हो गई थी, क्योंकि दिनांक 18.11.1996 को अपीलान्टस द्वारा दोनों नामान्तकरण की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 10.01.1997 को नकल प्राप्त की जा चुकी थी। जिसकी पुष्टि रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.1996 से हो जाती है। उक्त निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया है कि विवादित नामान्तकरण की जानकारी होने बाबत तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आ जाने के कारण अपील अपीलान्ट मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि भलीभांति हो जाती है। इसी कारण अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज करते हुये सहायक भू प्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 23.06.1993 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि अपीलान्टस के पिता मथुरा के शपथ पत्र पर सहमति बाबत अंगूठा निशानी की हुई है। जिसकी पुष्टि दो गवाहान द्वारा की गई है। उक्त शपथ पत्र 5 रुपये के स्टाम्प पर दिया गया है, जो कि दिनांक 18.05.1992 को स्टाम्प वैण्डर से अपीलान्टस के पिता मथुरा लाल के नाम से ही क्रय किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा समस्त कार्यवाही अपीलान्टस के पिता मथुरा द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र व सहमति पत्र के आधार पर ही की गई थी। जिसकी जानकारी अपीलान्टस के पिता को निर्णय किये जाने की दिनांक से ही थी। यदि एक क्षण के लिये यह भी मान लिया जावे कि अपीलान्टस के पिता को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.1993 की जानकारी तत्समय नहीं हो पाई तो भी अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन दिनांक 18.11.1996 को करने व इसकी नकल दिनांक 11.01.1997 को प्राप्त होने

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

के बाद हो गई थी। इसके बाबजूद अपीलान्टस के पिता द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित करते हुये अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.03.2015 को प्रार्थी के पुत्र मुरलीधर के के.सी.सी. की फाइल बनाने हेतु पटवारी हल्का के पास जाने पर होने का उल्लेख किया गया है, जो कि गलत है। चूंकि अपीलान्टस की ओर से दिनांक 18.11.1996 से दिनांक 30.03.2015 तक हुये विलम्ब के संबंध में अदालत मातहत में कोई पर्याप्त व उचित कारण नहीं बताया गया। इसलिये अदालत मातहत द्वारा मियाद के बिन्दु पर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील को नियमानुसार खारिज किया गया है, क्योंकि अपीलान्टस के पिता की ओर से अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील लगभग 18 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी। विलम्ब से अपील पेश किये जाने का कोई पर्याप्त व उचित कारण भी नहीं बताया गया था, जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि मियाद के संबंध में प्रत्येक दिन का उचित व पर्याप्त कारण बताया जाना आवश्यक है, लेकिन अपीलान्टस के पिता की ओर से विलम्ब से अपील पेश किये जाने का कोई कारण नहीं बताये जाने के कारण अपील सही खारिज की गई है। इसलिये अपील अपीलान्टस खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्टस ने तर्क दिया कि तथाकथित शपथ पत्र व सहमति पर अपीलान्टस के पिता के अंगूठा निशानी किये हुये हैं, जबकि अपीलान्टस के पिता हस्ताक्षर करते थे। इसके अलावा खातेदारी अधिकार केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत ही दिये जा सकते हैं। जबकि उपरोक्त प्रकरण में सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, जो कि क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये है। अवैध व शून्य प्रभाव लिये हुये आदेश पर मियाद संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। इसके बाबजूद सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा रैस्पोडेन्टस के पिता को विवादित भूमि में खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया है तथा उपरोक्त आदेश की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 10 स्वीकृत किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 व सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से स्वीकृत किया गया नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 23.06.1993 को निरस्त किया जावे।

अपीलान्टस व रैस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1/1 से 1/5 के पिता व 1/6 के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

ससुर तथा 1/7 व 1/8 के बाबा मथुरा द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में सहायक भू प्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर की ओर से पारित किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 26.06.1993 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील को जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा मियाद बाहर मानकर खारिज किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें जिला कलक्टर द्वारा अपीलान्टस व रैस्पोडेन्टस को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 को पारित किया है। उक्त निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से की गई बहस का उल्लेख करते हुये यह माना है कि अपीलान्ट को विवादित नामान्तकरण 10 व 11 दिनांक 23.06.1993 की जानकारी दिनांक 18.11.1996 को प्राप्त हो गई थी, क्योंकि दिनांक 18.11.1996 को अपीलान्ट द्वारा दोनों नामान्तकरण की नकल लेने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी नकल दिनांक 10.01.1997 को प्राप्त हो चुकी थी। जिसकी पुष्टि रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नकल प्रार्थना पत्र की प्रति दिनांक 18.11.1996 से हो जाती है अर्थात् विवादित नामान्तकरण की जानकारी होने बाबत तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आ जाने के कारण अपील अपीलान्टस मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने की पुष्टि होने के आधार पर अपील अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत अपील को न्याय के परिप्रेक्ष्य में मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि रैस्पोडेन्टस की ओर से अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.1993 के विरूद्ध विलम्ब से अपील पेश किये जाने पर विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब व काउन्टर शपथ पत्र अदालत मातहत में पेश किया गया था। जिसमें अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.06.1993 की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.11.1996 को सहायक भू प्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर के कार्यालय में नकल हेतु आवेदन करने व दिनांक 10.11.1997 को नकल प्राप्त होते ही होने का उल्लेख करते हुये यह आपत्ति की गई थी कि अपीलान्ट की ओर से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 30.03.2015 को होने के बारे में गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। इसके समर्थन में फार्म नंबर 3 के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिसमें अपीलान्ट की ओर से नामान्तकरण संख्या 10 व 11 दिनांक 23.06.1993 व 77 दिनांक 10.03.1986 की नकल हेतु सहायक भू प्रबंध अधिकारी सवाई माधोपुर के कार्यालय में आवेदन किये जाने, नकल तैयार होकर दिनांक 10.01.1997 को अपीलान्ट मथुरा के द्वारा प्राप्त किये जाने की पुष्टि होती है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में रैस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब व काउन्टर शपथ पत्र के विरूद्ध ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी दिनांक 18.11.1996 या 10.01.1997 को नहीं हुई हो। ऐसी स्थिति में जब अपीलीय अधिकारी के समक्ष दफा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब व काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत हो गया हो तो उस स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। इसी आधार पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी दिनांक 18.11.1996 को प्राप्त हो गई थी। जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी नकल दिनांक 10.01.1997 को अपीलान्ट मथुरा को प्राप्त हो गई थी। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज किये जाने का आदेश दिया गया है। अदालत हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे यह स्पष्ट होता हो कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी भरतपुर की ओर से पारित किये गये निर्णय दिनांक 23.06.1993 के बारे में जानकारी होने की जो दिनांक अपीलाधीन निर्णय में उल्लेखित की गई है, वह गलत है।

जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 1998 पेज 319 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का प्रश्न है तो उक्त सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं, परन्तु उक्त नजीर में यह भी अभिमत दिया गया है कि यदि अपील गुणावगुण के आधार पर चलने योग्य नहीं है तो मियाद के बिन्दु पर खारिज की जा सकती है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश की गई है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में अपील क्लीन हैण्ड से पेश नहीं की गई है तथा अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी होने की दिनांक गलत अंकित की गई है। जिसकी पुष्टि अपीलाधीन निर्णय में वर्णित तथ्यों से भलीभांति हो रही है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.04.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर